न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

न0 ...110.../2022 तारीखरजू:- 1-9-22

उनवानः– रामनिवास बनाम खिलाडी

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

दिनांक	फर्द अहकाम	
	सायल की और से अधिवक्ता श्री सुनील जिंदल एडवोकेट हाजिर सायल अधिवक्ता के अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा सायलान के पक्ष मे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील सायलान को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि मे प्रार्थी के पक्ष मे अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए गैरसायलान न0 1 ता 5 को दिनांक 20.09.2022 तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि विवादग्रस्त आराजी **ख0न0 878/0.54 है0 ग्राम खानपुर** तहसील टोडाभीम मे आगामी तारीख पेशी तक निर्माण कार्य नही करे। प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ–साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नही होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियो के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अंतरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियो का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियो मे यह अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है मे परिवर्तन की दशा मे संशोधित/वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 20.09.2022 को पेश हो। (दुर्गा प्रसाद मीना) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली	4927-35 1-9-22
20.9.22	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उप। अप्रार्थी न0 1 लगा0 5 की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा एड0 ने उपस्थिति दर्ज कराई। एंव अप्रार्थी न0 6 के नोटिस तामील पुत्र के द्वारा होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है बावजूद सूचना कोई उप0 नही।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 10:58:27 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टोडाभीम जिला–करौली

ांक	फर्द अहकाम
6/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उपस्थित वास्ते बहस दिनांक 25.6.24 को पेश हो।
25/6/24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी एवं प्रार्थी वकील कोई उपस्थित नहीं। बार 2 आवाज दिलाई गई इसके उपरान्त भी कोई उपस्थित नहीं। इसलिए प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र कार्यवाही [illegible] अदम पैरवी अदम हाजिरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली अमल अनुसार इन्द्राज नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 10:58:27 IST
Reason: SelfAttested